5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE R — 50 भारत पाँच रुपये — Rs 5 INDIA FIVE RUPEES — COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES

243

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, (म0प्र0)

R 450 I-17 सन् 2016

प्रकरण क्रमांक ...............

अकरम खान तनय श्री अनवर खांन

निवासी सेवाग्राम खजुराहो तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0) ---------------------आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कल्ली अहिरवार वेवा मोहनलाल अंहिरवार
   निवासी ग्राम चुरारन (चन्द्रनगर) तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म0प्र0)
2. रामस्वरूप तनय महादेव शुक्ला
   निवासी चन्द्रनगर तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म0प्र0)
3. जिला वन मण्डला अधिकारी
   वन परिक्षेत्र छतरपुर,
   जिला छतरपुर (म0प्र0) ---------अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 69 / अपील / 2014-15 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 से परिवेदित होकर ।**

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244803

महोदय,

आवेदक / निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम चन्द्रनगर की भूमि खसरा नंबर 417 रकवा 0.769 हे0 एवं खसरा नं0 470 / 2 / 3 / 1 रकवा 0.405 हे0 कुल रकवा 1.174 हे0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 19.03.2014 को विक्रेता अमनी पत्नी स्व0 हिरवा अहिरवार निवासी ग्राम चुरारन से मुब0 600000 / - रू0 ( छैः लाख रूपये ) में क्रय की गई थी । तथा जिसका नामान्तरण

क्रमशः / / 2 / /

अकरम खॉन

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

--------

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-450-एक/2017 जिला छतरपुर

अकरम विरूद्ध कल्ली

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम |
|---|---|---|
| 07-03-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अुनविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 69/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 07/03/19<br>सदस्य | |